"पंजल शेड" जैसी कोई शब्दावली अथवा परियोजना नहीं है। तथापि, वर्तमान में एच.एस.डी. के संबंध में देश में 3.42 मि. मी. टन भंडार क्षमता के 83 तेल डिपो टर्मिनल है।

संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्र

186. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री आस मोहम्मद :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री 4 मई, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 5742 के दिए गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1993-94 के दौरान संसद् सदस्यों से प्राप्त 1406 पत्रों के उत्तर नहीं दिए गए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने संबंधित मंत्रालय द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर दिए जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई ,

(ग) क्या सरकार इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करके उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी जो सरकारी पत्रों के उत्तर न देने के दोषी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) सांसदों के 31-3-94 तक प्राप्त पत्रों में से जो पत्र उस तारीख तक अनुत्तरित रह गए थे अब केवल 216 पत्र लंबित हैं। यह इसलिए लंबित हैं कि अधिकांश मामलों में पत्रों में उठाए गए मामले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से नहीं निपटाए जा सकते। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र संगठनों से आंकड़े अथवा अद्यतन जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है इसमें काफी समय लगता है।

(ग) और (घ) उपरोक्त के मद्देनजर इन अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Agreement of IOC with Raaj Unocal Ltd.

187. SHRI NILOTPAL BASU :
SHRIMATI SARLA MAHESHWARI:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether IOC has signed an agreement with Raaj Unocal Ltd. Delhi, for blending and packaging of lubes, if so, what is the blending fee offered by IOC to the party;

(b) what is the blending fee paid by IOC to Indian Oil Blending Ltd. (IOBL) a subsidiary of IOC;

(c) what had been the stock lubricants maintained at Delhi and other northern region terminal depots for the year ending 1991-92, 1992-93 and 1993-94;

(d) on how many occasions did IOC ail to meet the customer, requirement of automotive engine oil in northern sector before the agreement with the private party; and

(e) in what manner IOC/IOBL are protecting the formulation developed for blending base oil with additives after allowing the private party to blend the product?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) Yes, Sir. The IOC will pay a blending fee of Rs. 1120 per KL to the Party.

(b) The Blending fee payable to the IOBL is Rs. 440 per KL, which is being

considered for upward revision to Rs. 825 per KL with effect from 1-4-1994.

(c) The stock of lubricants maintained in Delhi and other northern region terminal depots for the years ending 1991-92, 1992-93 and 1993-94 were as under:—

	Year ending		
	1991-92	1992-93	1993-94
Stock in Kls.	22559	34170	39292

(d) The customers' requirement of automotive engine oil in northern sector has generally been met. However, there have been instances of delay in meeting the requirement owing to lead time.

(e) The IOC has maintained secrecy of formulations while awarding the contract to Raaj Unocal Lubricants. This has been achieved through secret coding of input stocks like base oils and additives

मध्य प्रदेश में गर-सरकारी एल.पी.जी. का वितरण

188 **श्री अजीत जोगी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य-प्रदेश में गैर-सरकारी एल पी.जी. वितरकों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने गैर-सरकारी एल.पी.जी. वितरकों द्वारा वितरित की जा रही एलपी.जी. के लिए जमा राशि और विक्रय मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

( ) कितनी राशि जमा करानी होती है और गैर-सरकारी वितरकों द्वारा एल.पी.जी. किस मूल्य पर बेची जा रही;

(ङ) क्या कुछ गैर-सरकारी वितरकों द्वारा प्रतिभूति जमा के रूप में अत्याधिक धनराशि वसूल की जा रही है और एल. पी.जी. बहुत अधिक मूल्य पर बेची जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) समानान्तर विपणन प्रणाली के अंतर्गत निजी एजेंसियां अपनी योजना तहत डिस्ट्रीब्यूटरों को नियुक्त करने तथा ग्राहकों का नाम दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है।

(ख) से (घ) उक्त प्रणाली के अ निजी एजेंसियों को अपनी शर्तों के तहत एल.पी.जी. का आयात करने, बाजार नियंत्रित कीमतों पर इस प्रकार आयातित एल.पी.जी. की बिक्री के लिए वितरण नेटवर्क तथा अपनी सुविधाओं का प्रयोग करने स्थापित करने की अनुमति दी गई है। सरकार कीमत अथवा जमा, आदि को नियंत्रित नहीं करती है।

(ङ) से (च) कुछ ऐसी रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उन समानान्तर विपणन कर्ताओं द्वारा जमा एकत्र करने पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है। जो उत्पाद की आपूर्ति हेतु पर्याप्त व्यवस्था किए बगैर ऐसा करते है। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी सुझाव दिया गया है कि वे उन व्यक्तियों/एजेंसियों की वास्तविकता, पूर्ववृत्त तथा क्षमता को परखें।

जो समानन्तर विपणन प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने के इच्छुक हैं, तथा जो व्यक्ति धोखाधड़ी अथवा कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करें। आम जनता को भी प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से सूचित रूप से सुझाव तथा चेतावनी दी गई है कि उन्हे संबद्ध समानान्तर विपणनकर्ताओं के साथ कार्य व्यापार करने से पूर्व उनके पूर्ववृत्त